# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0181 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/07/2026 15:09 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/07/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:54 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/07/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/07/2026 15:09:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KAMRA NO.116, PATTA LEASE SHAKHA, JONE HAWAMAHAL AMER, NAGAR NIGAM JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** IMRAN KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ISHAK KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | PLOT NO. 236 B NAYA 1123/3, TALAI KUEN KE PASS, MOHALLA HANDIPURA, AMER JAIPUR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | PLOT NO. 236 B NAYA 1123/3, TALAI KUEN KE PASS, MOHALLA HANDIPURA, AMER JAIPUR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMSINGH YADAV | | पिता:MOOLCHAND YADAV | 1. KISHORPURA,SHRIMADHOPUR,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 50,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.03.2026 को श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसने बताया कि उसके पिताजी इशाक खान के नाम उनके स्वयं के मकान का पट्टा जारी करने की एवज में कार्यालय नगर निगम जोन हवामहल- आमेर हैरिटेज जयपुर में कार्यरत रामसिंह नाम के सरकारी कर्मचारी द्वारा दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इमरान खान पुत्र इशाक खान, उम्र 39 साल निवासी 236बी नया 1123/3 तलाई कुंए के पास मोहल्ला हाण्डिपुरा आमेर जयपुर बताया तथा स्वयं द्वारा लिखित एक प्रार्थना-पत्र पेश किया कि "मेरे पिताजी के नाम हमारा मकान नलं. 1123/3 तलाई हाण्डिपुरा है उक्त मकान के पट्टे के लिए मेरे पिताजी ने दिनांक 01.12.2021 को नगर निगम कार्यालय चौगान स्टेडियम के पास में आवेदन किया था इसके पश्चात वर्ष 2022 में उक्त मकान का पट्टा बन गया था लेकिन मेरे पिताजी के बिमार होने की वजह से उस समय मेरे पिताजी उक्त पट्टा लेने के लिए नही गये, तत्कालीन समय में अग्निशमन कार्यालय आमेर में पट्टा वितरण हेतु लगे कैम्प में मैं स्वयं उक्त पट्टा लाने गया था। पट्टा बनकर तैयार हो गया था जिसको पट्टा वितरण करने वालों ने उक्त पट्टा मेरे पिताजी को ही देने की शर्त पर अपने पास ही रख लिया तथा मुझे पट्टा नही दिया। चूंकि मेरे पिताजी काफी बीमार थे, इसलिए वो उक्त पट्टा लेने नही जा सके। उसके पश्चात उक्त पट्टा लेने के लिए मैं व मेरे पिताजी काफी बार नगर निगम कार्यालय हवामहल आमेर जोन जाते रहे लेकिन हर बार हमारे को पट्टा देने में टालमटोल करते रहे तथा हमे हमारे मकान का पट्टा नही दिया। वर्ष 2025 में पुनः पट्टा वितरण कैम्प आमेर में लगा जिसमें मेंरे पिताजी ने प्रार्थना-पत्र देकर पट्टा चाहा तो कैम्प में उपस्थित बाबूजी रामसिंह ने नगर निगम ऑफिस चौगान स्टेडियम में आने के लिए कहा। कैम्प के चार-पांच दिन बाद मैं उक्त पट्टा लेने नगर निगम ऑफिस गया तो रामसिंह जी ने फाईल ढुंढकर फोन करने के लिए कहा। इसके पश्चात रामसिंह ने एक-दो बार मेंरे को अपने मोबाईल नम्बर से मुझे व्हाट्सअप कॉल कर जल्दी पट्टा देने को कहा। दिनांक 17.03.2026 को मैं व मेरे पिताजी नगर निगम कार्यालय हवामहल जोन गये तो रामसिंह बाबूजी ने ऑफिस के बाहर आकर पट्टा देने की एवज में 2,00000/- रूपये मांगे। हम रामसिंह को इतनी मोटी राशि देने की हैसियत में नही है तथा उसे रिश्वत नही देना चाहते, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" उपरोक्त प्रार्थना-पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की तो उसने बताया कि मेरे पिताजी काफी बीमार रहते है तथा वो बमुश्किल से चल पाते है, इसलिए उनका सारा काम मैं ही करता हूं। पट्टा देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत मांगने वाले पट्टा शाखा के बाबूजी रामसिंह जी भी मेरे से ही सारी बाते करते है। रामसिंह जी ने मुझे बताया कि मेरे उपर तक सैटिंग है, लेकिन बिना पैसे दिए उपर वाले भी काम नही करते है, मेरे हिस्से में तो 10-15 हजार रूपये ही आयेगे। बिना पैसे दिये आपका काम होना सम्भव नही है। इस प्रकार रामसिंह जी मुझे हमारे मकान का पट्टा देने की एवज में नगर निगम हवामहल जोन के चक्कर पे चक्कर कटवाकर परेशान कर रहा है तथा बिना रिश्वत लिए वो हमारा पट्टा बनाकर नही देगा। परिवादी ने उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ अपने पिताजी इशाक खां द्वारा श्रीमान् आयुक्त महोदय हैरिटेज नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र की पुरानी फोटो प्रति, सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्राप्त पानी के कनेक्शन लेने की लगाई गई फाईल, बिजली से सम्बंधित फोटो कॉपी इत्यादि की प्रमाणित कागजात प्रस्तुत किये। परिवादी ने बताया कि रामसिंह बाबूजी ने मुझे आज ही नगर निगम कार्यालय में बुलाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। परिवादी ने बताया कि आज ही संदिग्ध ने नगर निगम कार्यालय में बुलाया है जिस पर आज ही रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकती है, अतः कार्यालय के श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी इमरान खान से आपस में परिचय करवाया गया। इसके पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु श्री सुभाष चन्द्र कानि. को कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड DAICHI32 जीबी मंगवाया गया। परिवादी को उक्त वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके पश्चात वॉइस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चत कर नये मैमोरी कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर में डाला गया तथा श्री सुभाष चन्द्र कानि. को परिवादी के साथ नगर निगम हवामहल आमेर जयपुर भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई तो संदिग्ध रामसिंह नगर निगम कार्यालय में नही होना व परिवादी के मोबाईल नम्बर से रामसिंह के मोबाईल नम्बर

पर ओपन स्पीकर कर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया तो रामसिंह ने किसी कार्य से हैड ऑफिस में आने के बारे में कहा। उक्त कॉल को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। दिनांक 19.03.2026 को श्री सुभाष चन्द्र कानि. ने अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी आज पुनः कार्यालय नगर निगम हवामहल आमेर जोन, जयपुर में जाकर संदिग्ध से वार्ता करेगा जो अपने घर से सीधा कार्यालय नगर निगम हवामहल आमेर जोन, जयपुर के पास ही मुझसे मुलाकात करेगा, जिस पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर देकर कार्यालय नगर निगम हवामहल आमेर जोन, जयपुर में परिवादी के पास रवाना कर परिवादी से मिलने के पश्चात परिवादी को विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री रामसिंह यादव के पास भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तथा परिवादी ने कानि0 को बताया कि एप्लिकेशन के लिए रामसिंह मुझे कल फोन करके ऑफिस बुलायेगा तो मैं आपको सुचित कर दूंगा। इसके पश्चात परिवादी को कार्यालय नगर निगम हवामहल आमेर जोन, जयपुर से रूख्सत कर कानि0 ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध द्वारा परिवादी से उसके काम के सम्बंध में व रिश्वती राशि लेने के सम्बंध में विस्तृत वार्ता की गई तथा "आपका काम हो जायेगा, आप मेरे जानकार आमेर में ही संजय नाम के व्यक्ति को रिश्वत राशि दे देना तथा संजय जब मुझे बोल देगा कि रूपये आ गये है तो मैं आपका काम कर दूंगा" के तथ्य प्रकट हुए। दिनांक 09.04.2026 को परिवादी कार्यालय हाजा में अति. पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ। दिनांक 19.03.2026 से आज दिनांक तक परिवादी से निरन्तर समन्वय बनाये रखा गया था। परिवादी ने बताया कि दिनांक 07.04.2026 को संदिग्ध रामसिंह मुझे आमेर किले के पास मिला था जिसने बताया कि एक दो दिन में मुझे तेरे काम के लिए फोन कर लेना, इसलिए मैं आज रामसिंह से फोन पर मेरे काम की वार्ता करूगां जिस पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. को बुलाकर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये गये। परिवादी ने अपने मोबाईल नं. से संदिग्ध रामसिंह के मो.न. पर व्हाट्सअप कॉल कर पट्टे के संबंध में बातचीत की गई जिसमें रामसिंह ने परिवादी को आमेर बुलाया। उक्त वार्ता को विभागीय वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में रामसिंह परिवादी को आमेर किले के पास बुला रहा है जिस पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी के साथ आमेर जाने के निर्देश देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय 4.30 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. कार्यालय हाजा में एएसपी के समक्ष उपस्थित होकर बन्द किया हुआ वॉइस रिकॉर्ड सुपुर्द कर बताया कि आमेर किले से कुछ दूरी पहले परिवादी को वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध के पास रवाना किया गया, कुछ समय बाद परिवादी ने बताया कि अभी कोई वार्ता नही हुई है, रामसिंह ने ईशारा कर मुझे कुछ समय बाद आने के लिए कहा है। कुछ समय पश्चात परिवादी को पुनः वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध के पास रवाना किया गया था। कुछ समय पश्चात परिवादी मुझ कानि. के पास आया जिससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा गया। परिवादी ने बताया कि रामसिंह जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे काम को काफी समय हो गया है इसलिए अब मैं दुबारा उसको स्टार्ट करूंगा। आपको उस समय तो मैने बताया वो काम किया नही, अब मैं एक दो दिन में तुम्हे वापस फोन करूंगा तो तुम मेरे पार आकर एप्लीकेशन ले जाना व उस पर तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर करवाकर जब वापस मेरे पास आओ, उसी समय संजय जी को वो (2 लाख रूपये) कर देना, करने के बाद ही आपका काम होगा। कानि. से प्राप्त रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तथा बन्द कर मैमोरी कार्ड को निकालकर सुरक्षित कार्यालय अलमारी में रखवाया गया था। दिनांक 09.04.2026 से दिनांक 01.07.2026 तक परिवादी से निरन्तर समन्वय बनाये रखा गया था। दिनांक 01.07.2026 समय 07.00 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी ने जरिये फोन बताया है कि संदिग्ध रामसिंह उसे कल ही 02.07.2026 को पुराने पीएचक्यू में लगने वाले पट्टा वितरण कैम्प में मुझे रूपये लेकर बुला रहा है तथा रिश्वत राशि रामसिंह स्वयं ही लेगा। अतः कल दिनांक 02.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये गये। चूंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कल महत्वपूर्ण राजकार्य से उच्च न्यायालय, जोधपुर जाना है। अतः उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही करने हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस, एसआईडब्ल्यू, जयपुर को निर्देशित कर समस्त कार्यालय स्टाफ को ट्रेप कार्यवाही हेतु सारी तैयारियों पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 02.07.2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये, समस्त कार्यालय स्टाफ व मन् उप अधीक्षक पुलिस तथा परिवादी श्री इमरान खान कार्यालय हाजा में उपस्थित है। तत्पश्चात् अतिरक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को चौकी हाजा द्वारा की जा रही गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के समस्त हालात बताये गये तथा उपस्थित परिवादी श्री इमरान खान से परिचय करवाया गया एवं समस्त सामग्री वाईस रिकॉर्डर, मैमोरी कार्ड व कागजात इत्यादि मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रीम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। परिवादी ने बताया कि मेरे पास 02 लाख रूपयों की व्यवस्था नही हुई है, अभी मेरे पास 50 हजार रूपयों की ही व्यवस्था हुई है। उच्चाधिकारियें के निर्देशानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड 32 जीबी को सुरक्षार्थ कार्यालय अलमारी में रखवाया गया। समय 09.20 एएम पर तलबशुदा दो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय हाजा में उपस्थित हुऐ है, जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं का परिचय देकर नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम विजय सिंह पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह, उम्र 42 साल निवासी प्लाट नं. 139, शिवविहार डी,

लालरपुरा, गांधी पथ वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जांच शाखा, आरएसआरडीसी जयपुर .व दुसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री मूलचन्द जी वर्मा, उम्र 45 साल, निवासी प्लाट नं. 1सी, हरिहिन्त नगर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, भण्डार शाखा, आरएसआरडीसी जयपुर बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान से चौकी हाजा द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमती प्राप्त की जाकर उक्त दोनो गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री इमरान खान से परिचय करवाया गया तथा चौकी द्वारा की जाने वाली गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 09.50 एएम पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री इमरान खान को संदिग्ध रामसिंह कार्यालय जमादार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 100 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 50,000/-रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, सभी नोटों का विवरण/नम्बर फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल 100 नोट राशि 50,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी इमरान खान के समक्ष कार्यालय हाजा भवन के गार्ड श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. नं. 2584 से निर्देशानुसार कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी इमरान खान की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विजय सिंह से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. से परिवादी श्री इमरान खान की पहनी हुई पेंट की दांहिनी जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध रामसिंह द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर देवें तथा संदिग्ध रामसिंह द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपनी गाडी की चाबी से अपने कान में खुजलाने का ईशारा करें या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर रर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रख। स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री इमरान खान को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री जितेन्द्र सिंह, कानि. से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवाकर हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध से होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड Consistent 32GB श्री सुभाष चन्द्र कानि. नं0 592 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त हस्ब कायदा मुर्तिब की गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 2584 को ब्यूरो कार्यालय में ही छोड़ा गया था। समय 11.00 एएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अति0 पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीटी थर्ड-जयपुर के नेतृत्व में मन सुरेन्द्र पंचौली, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री हरिभजन स0उ0नि0, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री प्रवीण कुमार कानि0 222 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन नं. आरजे 14 यूएन 6729 कानि. चालक श्री राकेश मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही में रवाना हुए साथ ही परिवादी श्री इमरान खान के साथ उसकी निजी कार में श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को रवाना कर उनके पीछे पीछे सरकारी मोटरसाईकिल से श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 व श्री कपिल कुमार कानि. 377 को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय से रवाना होकर नगर निगम हवामहल -आमेर जोन, पुराना पीएचक्यू परिसर जयपुर पहुंचे जहां पर सरकारी वाहन को पार्किंग स्थल पर खडा किया गया। परिवादी श्री इमरान खान व श्री सुभाष चन्द्र कानि. भी उक्त स्थान के पास पहुंच चुके है। समय 11.35 एएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 द्वारा परिवादी श्री इमरान खांन को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय

मेमोरी कार्ड को चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत लेन-देन हेतु जोन-हवामहल आमेर, नगर निगम के कार्यालय परिसर में लगे शहरी सेवा शिविर में रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के शहरी सेवा शिविर के आस-पास परिवादी श्री इमरान खांन के निर्धारित ईशारे के लिए अपनी पहचान को छुपाते हुए गोपनीय रूप से ट्रैप जाल बिछाकर मुकिम हुए। उक्त शहरी सेवा शिविर में आमजन की काफी भीड़ है। तत्पश्चात् कुछ समय बाद परिवादी श्री इमरान खांन एक सफेद शर्ट व नीले कलर की जिंस की पेन्ट पहने व्यक्ति के साथ जोन-हवामहल आमेर नगर निगम के कमरा नं0 116 में चले गये। समय 11.52 एएम पर परिवादी श्री इमरान खांन उक्त कमरा नं0 116 से बाहर आकर निर्धारित ईशारा किया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त एसीबी टीम सदस्यो एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुॅचे, मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं शहरी सेवा शिविर के लगे टेन्ट में काउन्टर नं0 09 पर जाकर रामसिंह जी से मिला तो उन्होने अपने साथ चलने का ईशारा किया, जिस पर मैं उनके साथ रवाना होकर कार्यालय के कमरा नं0 116 में पहुंचे, जिन्होने मेरे से रिश्वती राशि के 50,000/- रूपये बांये हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई नीले रंग की जिन्स की पेन्ट के पीछे की बांयी तरफ की जेब में रख लिये थे। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री कपिल कुमार कानि0 को विभागीय मोबाईल से विडियोग्राफी करने की मुनासिब हिदायत दी गई। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को हमराह लेकर मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के हवामहल आमेर जोन के कमरा नं0 116 में प्रवेश किया तो उक्त कमरे के अन्दर बने कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति मौजुद मिला, जिसकी तरफ परिवादी श्री इमरान खांन ने ईशारा कर बताया कि यही रामसिंह जी है, जिन्होने मेरे से अभी रिश्वती राशि के 50 हजार रूपये प्राप्त किये है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराही जाप्ते की मदद से श्री रामसिंह यादव को डिटेन करवाया जाकर स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री मूलचन्द यादव जाति यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम पोस्ट किशोरपुरा पुलिस थाना अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला-सीकर वर्तमान निवास किरायेदार जसवंत सिंह के मकान में, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर हाल कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर मोबाईल नम्बर                होना बताया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामसिंह यादव से नगर निगम में किये जाने वाले कार्य के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि मैं सफाई कर्मचारी हूं और कार्यालय में फाईल का इधर-उधर देने व पानी पिलाने का काम करना बताया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से अभी-अभी ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैं तो इनको फाईल देखने के लिए बोला था और पट्टे की फाईल तलाश कर देने के लिए बोला था। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुनः परिवादी से लिये गये रूपये किस काम की एवज में लिये गये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री रामसिंह यादव ने कहा कि इन्होने मुझे पैसे तो दिये है परन्तु मैंने इनसे कोई रूपये नही मांगे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा तो परिवादी ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुए कहा कि इन्होने मेरे पैण्डिंग पट्टे को देने की एवज में रूपये लिये है। आरोपी श्री रामसिंह यादव से रिश्वती राशि के 50 हजार रूपये के बारे में पूछा तो उसने अपने जिंस की पेन्ट की पीछे की बांयी तरफ की जेब में होना बताया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश वर्मा से आरोपी श्री रामसिंह यादव के पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की बांयी तरफ की जेब की तलाशी लिवाई गई तो स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश वर्मा ने उक्त जेब से 500-500/- रूपये के नोटो की एक गड्डी निकाल कर प्रस्तुत की, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश वर्मा से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 100 नोट राशि 50,000/रूपये होना बताया। तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र गवाहन से सरसरी तौर पर उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में कार्यालय में बनायी गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो हुबहु होना पाया गया, उक्त रिश्वती राशि पुनः स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश वर्मा के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री रामसिंह यादव, कार्यालय जमादार (सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर के दोनो हाथो के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर उक्त तैयार शुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री रामसिंह यादव के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनो स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री रामसिंह यादव एवं परिवादी श्री इमरान खांन के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री रामसिंह यादव के दांहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन मठमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मठमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क R-2 व R-2 अंकित कर दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री रामसिंह यादव एवं परिवादी श्री इमरान खांन के हस्ताक्षर

करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रामसिंह यादव के पास मौजुद आईफोन-16, बरंग रोज गोल्ड प्राप्त कर हमराह लिया गया व आरोपी की पहनी हुई जिंस की पेन्ट में अन्य कोई नगदी व वस्तु नही पायी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री रामसिंह यादव की पहनी हुई नीले रंग की जिंस की पेंट के पीछे की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लिया जाना है, जिस पर आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा पहनी हुई जिंस की पेन्ट को सम्मानपूर्वक उतरवाया जाकर तौलिया लपेटवाया जाकर उक्त जिन्स की पेन्ट के पीछे की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लेने हेतु एक नए पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया और उक्त पेंट के पीछे की बांयी तरफ की जेब को उल्टा कर तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क P-2 व P-2 अंकित किया जाकर स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री रामसिंह यादव एवं परिवादी श्री इमरान खांन के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री रामसिंह यादव के लिए अन्य पेन्ट/लोवर की व्यवस्था होने के पश्चात ही जिन्स की पेन्ट को कब्जा एसीबी लिया जावेगा। इस पर उक्त जिंस की पेन्ट को आरोपी श्री रामसिंह यादव को पुनः पहनायी गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री इमरान खांन के हैरिटेज तलाई के कुऐ पास मौहल्ला हाण्डीपुरा कस्बा आमेर, जयपुर के पट्टे की फाईल के बारे में पूछा तो आरोपी श्री रामसिंह यादव ने कार्यालय में ही मौजुद परिवादी के पट्टे की फाईल प्रस्तुत की। उक्त फाईल का अवलोकन किया तो परिवादी का नगर निगम का पट्टा बना होकर अन्य सम्बंधित समस्त दस्तावेज मौजुद है, जिनको पृथक से नगर निगम हवामहल आमेर जोन के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जावेगी। उक्त आमेर हवामहल जोन नगर निगम जयपुर में आज शहरी सेवा शिविर का आयोजन होने के कारण आमजन की काफी अधिक भीड़ है। इसलिए अग्रिम कार्यवाही माणक चौक थाने में करने का निर्णय लिया जाकर समय 12.40 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहन व डिटेनशुदा आरोपी श्री रामसिंह यादव को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहनो के जोन आमेर हवामहल, नगर निगम जयपुर के कार्यालय से रवाना हुए। दर्ज रहे कि समय 01.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम, स्वतंत्र गवाहन व डिटेनशुदा आरोपी श्री रामसिंह यादव के बड़ी चौपड़ सर्किल पर स्थित माणक चौक थाने पर पहुंचे, जहां पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थाना प्रभारी से उक्त ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री रामसिंह यादव में अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रामसिंह यादव से पुनः परिवादी से लिये गये 50 हजार रूपये रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री रामसिंह यादव ने बताया कि पूर्व में इमरान भाई मेरे पास आये थे तो उन्होने मुझे बताया कि मेरे पट्टे की फाईल लगी हुई है, जो मुझे मिली नही, आप उक्त पीले रंग की फाईल तलाश कर मेरा पट्टा दिलवा दो। इस पर मैंने इनके नाम से कार्यालय के रिकॉर्ड में फाईल तलाश की तो मुझे मिल गई थी।, जब इमरान भाई दुबारा मुझसे मिले तो इन्होने कहा कि पट्टा तो बना हुआ है, पर मेरे पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड व रसीद नही है। मैंने इनको कहा कि आप नगर निगम के सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारियो से बात कर पट्टा जारी करवा लो। परन्तु इमरान जी ने मुझे कहा आप ही बात कर मेरा काम करवा दो। मेरे बार-बार मना करने के बाद भी लगातार मुझे फोन भी करते और मिलते भी थे। मैंने इनसे किसी प्रकार से रूपये नही मांगे थे। मेरे द्वारा इनको हमेशा ही उच्च अधिकारियो व कर्मचारियो से बात कर पट्टा जारी करने के लिए कहा गया था। इमरान जी आज मेरे पास आये और इन्होने पट्टा दिलाने के सम्बंध में बात की थी। मैंने इनको पट्टा जारी करने के सम्बंध में उच्च अधिकारियो से बात करने की कही थी, परन्तु इन्होने 500-500 रूपये के नोटो की गड्डी मेरी जेब में रख दिये। उसके बाद इमरान जी बाहर चले गये थे। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा रिश्वती राशि संजय निवासी आमेर नाम के व्यक्ति को देने के लिए कहे जाने के संदिग्ध तथ्यो के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि संजय जी आमेर मे टेन्ट हाउस की दुकान चलाते है, जो अपने निजी कार्य से नगर निगम के कार्यालय में आते जाते रहते है, जिस कारण उनसे बातचीत हुई थी। मेरी संजय से इमरान के सम्बंध में कोई बात नही हुई थी व जिसके मोबाईल नम्बर है। इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री इमरान खांन से पूछा तो परिवादी ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने वर्ष 2022 में प्रशासन शहरो के संग के अभियान में प्लॉट नं0 1123/3, तलाई कुऐ के पास, मौहल्ला हांडीपुरा, कस्बा आमेर जिला जयपुर का मेरे पिताजी श्री ईशाक खां के नाम से पट्टा बनवाया था, परन्तु पट्टा वितरण के दौरान मेरे पिताजी अस्पताल में थे, इसलिए उक्त पट्टा प्राप्त नही किया था। मैंने कई बार नगर निगम के चक्कर लगाये परन्तु पट्टा नही मिला, जब मैं रामसिंह यादव से हवामहल आमेर जोन नगर निगम में मिला तो उन्होने मेरे पट्टे की फाईल तलाश कर मुझे फोन कर कहा कि आपके पट्टे की फाईल मिल गई है, परन्तु उक्त पट्टे को जारी कराने के 02 लाख रूपये लगेगे, जिस पर मैंने एसीबी में शिकायत की थी, जिस पर दिनांक 19.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मैं रामसिंह यादव से मिला तो मैंने इनको पूर्व में मांगे गये 02 लाख रूपये ज्यादा होना बताया तो इन्होने कहा कि मेरे को तो 5-10 ही मिलेगे, बाकी तो हर जगह सैटिंग कर ऊपर देने पड़ते है और रजिस्ट्री वाले ही दस पन्द्रह हजार रूपये ले लेगें और इन्होने इनके जानकार संजय निवासी आमेर को उक्त राशि

देने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यदि आपका काम नही हो तो उसी से आप अपनी पूरी राशि वापस ले लेना। मेरा काम हो जायेगा का आश्वासन इनके द्वारा मुझे दिया गया था। उसके बाद रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.04.2026 को भी इन्होने मेरे को पूर्व में मांगे गये रिश्वती राशि के 02 लाख रूपये संजय निवासी आमेर को देने के लिए कहा गया। इसके बाद मेरे पास रिश्वती राशि की व्यवस्था नही हुई थी। उसके बाद मेरे पास रिश्वती राशि के 50 हजार रूपये की व्यवस्था होने के बाद मैं आज दिनांक 02.07.2026 को उक्त कार्यवाही के दौरान जब मैं रिश्वती राशि के 50 हजार रूपये लेकर इनके पास शहरी सेवा शिविर में गया तो इन्होने मेरे को साथ लेकर कमरा नं0 116 में गये तो इन्होने कहा कि आप इतने लेट कैसे आये तो मैंने कहा कि मैं रात को लेट हो गया था इसलिए लेट हो गया। आपका पट्टा जारी कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे दो और कहा कि आप पुराने नगर निगम चौगान स्टेडियम के पास चले जाओ उसके सामने ई-मित्र वाला है, उससे मेरी बात करा देना, वो आपको एप्लीकेशन तैयार करके दे देगा और इन्होने पूछा कि वो लाये हो क्या तो मैंने इनको 50 हजार रूपये होना बताकर दे दिये, जिनको इन्होने बांये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की बांयी तरफ की जेब में रख लिये थे। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वक्त रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान परिवादी श्री इमरान खांन व आरोपी श्री रामसिंह यादव के मध्य हुई वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में चलाकर सरसरी तौर सुना तो रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई। तत्पश्चात आरोपी श्री रामसिंह यादव की पहनी हुई नीले रंग की जिंस की पेंट जिसकी पीछे की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी तथा जिसका धोवन लिया जाकर पुनः पहना दी गई थी, को आरोपी श्री रामसिंह यादव के लिए लोवर की व्यवस्था होने के बाद सम्मानपुर्वक उक्त नीले रंग की जिंस की पैन्ट खुलवाकर लोवर पहनाया गया। आरोपी श्री रामसिंह यादव की पहनी हुई नीले रंग की जिंस की पेंट के पीछे की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी। उक्त जेब पर दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री रामसिंह यादव एवं परिवादी श्री इमरान खांन के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सीलडमोहर कर मार्क च् अंकित कर उपरोक्त सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश वर्मा के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को पुनः गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/-रूपये होना बताए। दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया, जिनको एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये। आरोपी श्री रामसिंह यादव के आईफोन-16 का अवलोकन किया गया तो कोई संदिग्ध डेटा नही पाया गया, जिसे पृथक से आरोपी के कहे अनुसार सुपुर्द किया गया । अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से श्री रामसिंह यादव, कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य का दुरूपयोग करते हुए अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैद्य पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री इमरान खान से उसके पिताजी श्री ईशाक खान के मकान का पट्टा देने की एवज में 02 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई, जिस पर दिनांक 19.03.2026 व 09.04.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी के पिताजी के नाम मकान नं0 1123/3 तलाई कुएं के पास मोहल्ला हाण्डीपुरा, कस्बा आमेर का पट्टा देने की एवज में 200000/- रूपये रिश्वती राशि मांग कर उक्त रिश्वती राशि आरोपी द्वारा अपने जानकार संजय निवासी आमेर को दिलवाने के कथन करने तथा दिनांक 01.07.2026 को आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी श्री इमरान खांन को जरिये फोन उक्त रिश्वत राशि नगर निगम हवामहल-आमेर जोन, जयपुर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर में सीधे ही स्वयं द्वारा ही लेने की सहमती देने पर आज दिनांक 02.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी श्री इमरान खान से 50000/- रूपये रिश्वती राशि लेकर अपने पहनी हुई जिंस की पेन्ट की बांयी तरफ की जेब में रख लिये, जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री रामसिंह यादव की पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे बांयी तरफ की जेब से बरामद किये गये। आरोपी श्री रामसिंह यादव कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री रामसिंह यादव कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.03.2026, 09.04.2026 एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 02.07.2026 में दर्ज स्वयं की आवाज का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर श्री रामसिंह यादव ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से श्री रामसिंह यादव कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को फर्द गिरफ्तारी के आधार व जमानत एवं जमानत के अधिकार की सूचना अन्तर्गत धारा 47, 38, 36(ग) बीएनएसएस 2023 के तहत पृथक से दी गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री मूलचन्द यादव जाति यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम पोस्ट किशोरपुरा पुलिस थाना अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला-सीकर वर्तमान

निवास किरायेदार जसवंत सिंह के मकान में, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर हाल कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर उत्तर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाने पर हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के घटनास्थल कमरा नं0 116, जोन हवामहल आमेर, नगर निगम, जयपुर का नक्शा मौका व हालात पृथक से तैयार किया गया। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। दौराने ट्रैप कार्यवाही श्री कपिल कुमार कानि0 नं0 377 द्वारा विभागीय मोबाईल से नियमानुसार विडियो रिकॉर्डिंग करवायी गयी थी, जिसकी आईन्दा पृथक से जरिये फर्द विडियो रिकॉर्डिंग का मैमोरी कार्ड सील्ड किया जावेगा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही होना मानकर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये थे। प्रकरण में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ व रिश्वत लेन-देन वार्ता का वार्ता रूपान्तरण एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की फर्दात व मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार किये गये। अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता एवं बरामदगी रिश्वती राशि से आरोपी श्री रामसिंह यादव, कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य का दुरूपयोग करते हुए अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैद्य पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री इमरान खान से उसके पिताजी श्री ईशाक खान के मकान का पट्टा देने की एवज में 02 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई, जिस पर दिनांक 19.03.2026 व 09.04.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी के पिताजी के नाम मकान नं0 1123/3 तलाई कुएं के पास मोहल्ला हाण्डीपुरा, कस्बा आमेर का पट्टा देने की एवज में 200000/- रूपये रिश्वती राशि मांग कर उक्त रिश्वती राशि आरोपी द्वारा अपने जानकार संजय निवासी आमेर को दिलवाने के कथन करने तथा दिनांक 01.07.2026 को आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी श्री इमरान खांन को जरिये फोन उक्त रिश्वत राशि नगर निगम हवामहल-आमेर जोन, जयपुर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर में सीधे ही स्वयं द्वारा ही लेने की सहमती देने पर आज दिनांक 02.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री रामसिंह यादव द्वारा परिवादी श्री इमरान खान से 50000/- रूपये रिश्वती राशि लेकर अपने पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की बांयी तरफ की जेब में रख लिये, जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री रामसिंह यादव की पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे बांयी तरफ की जेबसे बरामद किये गये। आरोपी श्री रामसिंह यादव कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ से प्रकट हुए तथ्यो से संदिग्ध श्री संजय निवासी आमेर की स्थिति संदेहास्पद प्रकट होती है जिसकी संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। अतः आरोपी श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री मूलचन्द यादव जाति यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम पोस्ट किशोरपुरा पुलिस थाना अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला-सीकर वर्तमान निवास किरायेदार जसवंत सिंह के मकान में, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर हाल कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट वास्ते क्रमांकन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेन्द्र पंचोली) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसआईडब्ल्यु हाल जयपुर नगर-तृतीय जयपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र पंचोली, उप अधीक्षक पुलिस, एसआईडब्लू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर हाल जयपुर नगर तृतीय-जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री मूलचन्द यादव जाति यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम पोस्ट किशोरपुरा पुलिस थाना अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला-सीकर वर्तमान निवास किरायेदार जसवंत सिंह के मकान में, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर हाल कार्यालय जमादार(सफाई कर्मचारी), पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर- चतुर्थ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 80 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1091-94 दिनांक 05.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- आयुक्त, नगर निगम, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयुक्तालय जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय-जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** RAMJI LAL **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/07/2026 15:13:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1998 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)